

ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रैटर नौएडा

जनपद- गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)।

पत्रांक: स्वा०वि०/2019/891

दिनांक: 10/12/2019

कार्यालय आदेश

ग्रैटर नौएडा के विभिन्न क्षेत्रों से लाये गये निराश्रित/बेसहारा गोवंश के अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में उनके भरण-पोषण की व्यवस्था हेतु 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार बैंक खाते के संचालन हेतु अधिकृत प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबन्धक (जन स्वास्थ्य) एवं समिति के संचालक सदस्यों के स्थान पर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 313(1)/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018टी०सी०-1, दि० 11.02.2019 के क्रम में प्राधिकरण की 116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2019 में अनुमोदित संशोधित प्रस्ताव के अनुपालन में प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबन्धक (जन स्वास्थ्य) एवं संचालन समिति के सदस्य के स्थान पर उक्त शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्थानुसार वरिष्ठतम पशु चिकित्साधिकारी/सी.वी.ओ., गौतमबुद्ध नगर के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते का संचालन करने हेतु अधिकृत किया जाना एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल-जलपुरा संचालन समिति के सदस्यों को बढ़ाने-घटाने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, ग्रैटर नौएडा प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ।
4. विशेष कार्याधिकारी (एस.एस.) को सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
6. खण्ड विकास अधिकारी, बिसरख को सूचनार्थ।
7. महाप्रबन्धक (वित्त/एस.एस.) को सूचनार्थ।
8. उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वरिष्ठ प्रबंधक (स्वास्थ्य) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी